उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद सं0 11/2020–21

ललीता कुमारी.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

अयोध्या कुमारी एवं अन्य.....उत्तरकारी

आदेश

04.01.2022

यह रे0मि0 अपील आँगनबाड़ी केन्द्र महेशखन्दा, पंचायत लकड़बॉक, प्रखंड–सरैयाहाट में ऑगनबाड़ीं सेविका के चयन में की गई अनियमितता के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपल्ब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1) ऑगनबाड़ी केन्द्र महेशखान्दा, पंचायत लकड़बॉक प्रखंड–सरैयाहाट के ऑगनबाड़ी सेविका का चयन हेतु दिनांक–28.02.2020 को ग्रामीणों की बैठक हुई। जिसमें किसी उम्मीदवार का सर्व सम्मति से चयन नहीं हो पाया तो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपीलकर्त्ता को चयन कर दिया एवं दिनांक–28.02.2020 को ही लिखित रूप से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सरैयाहाट को सूचना दिया गया, किन्तु इनके द्वारा 28.02.2020 को परिणाम घोषित नही किया गया। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों के सर्वसम्मत्ति से अपीलकर्त्ता को, ऑगनबाड़ी सेविका का चयन संबंधी सूचना, जिला सामाज कल्याण पदाधिकारी, दुमका को लिखित रूप से सूचना दिया गया।

(2.) जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, सरैयाहाट से मांगा गया प्रतिवेदन में ग्रामीणों से पूछताछ नहीं

किया गया बल्कि उत्तरकारी के ससुर के कहने पर उत्तरकारी की चयन संबंधी प्रतिवेदन अंचल अधिकारी द्वारा दे दिया गया।

(3.) दोनो ही उम्मीदवार प्रवेशिका उत्तीर्ण है। अपीलकर्त्ता अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता है, जबकि उत्तरकारी मात्र प्रवेशिका (मैट्रिक) उत्तीर्ण है।

(4.) अपीलकर्त्ता, उत्तरकारी से बेहतर उम्मीदवार है।

अतः उत्तरकारी की नियुक्ति को रद्द करते हुए अपीलकर्त्ता को ऑगनबाड़ी सेविका के पद पर नियुक्त किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया एवं लिखित बहस/कागजात भी दाखिल नहीं किया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सरैयाहाट द्वारा पत्रांक–01/बा0वि0 दिनांक–08.01.2021 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि ऑगनबाड़ी सेविका का चयन नियमावली ज्ञापांक–585/सं0क0 दिनांक–02.06.2006 के आलोक में किया गया है।

अंचल अधिकारी, सरैयाहाट द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में निम्न प्रकार उल्लेखित है :–

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, दुमका द्वारा दिनांक–28.02.2020 को आंगनबाड़ी केन्द्र–महेशखन्धा में आम सभा द्वारा सेविका चयन में अनियमितताएँ के संबंध में अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि उनके द्वारा दिनांक–14.07.2020 को ग्राम प्रधान महेशखंदा निर्मल कुमार मिश्र एवं ग्राम प्रधान नरेश कुवँर तथा उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष की गई।

जाँच में आवेदिका ललीता कुमारी तथा पूर्व चयनित अयोध्या कुमारी दोनो उपस्थित थी। दोनो ही उक्त गॉव की बहु है, तथा दोनो एक ही जाति/समुदाय क्षत्रिय है। दोनो का शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक द्वितीय श्रेणी उर्त्तीण है। अयोध्या कुमारी का कुल प्राप्तांक 300 है, तथा ललीता कुमारी का कुल प्राप्तांक 268 है। ललीता देवी द्वारा भारत स्कॉड और गाईड, दुमका एवं खेल संबंधी प्रमाण पत्र दी गई है।

<u>प्रावधान</u>

झारखण्ड सरकार समाज कल्याण विधि विभाग का पत्रांक–03/सा0 क0– 134/2002– का0– 585 दिनांक– 02.06.2006 के :–

11. (ख) निर्धारित तिथि, स्थान और समय पर चयन दल की उपस्थिति में ऑगनबाड़ी केन्द्र के लाभान्वितों की आम सभा की बैठक होगी। इस बैठक में केवल लाभान्वित परिवार के वयस्क सदस्य ही भाग लेंगे। इसमें समेकित बाल विकास सेवा योजना के उद्देश्य की जानकारी सभी सदस्यों की दी जायगी तथा ऑगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के चयन के लिए निर्धारित अर्हताओं/शर्तो की जानकारी पढ़कर सुनाई जायेगी तथा केन्द्र के लाभान्वितों की जाति, संख्या आदि की जानकारी भी दी जायेगी। इसके बाद आमसभा से ही ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका को पद के लिए नामों का प्रस्ताव मांगा जायेगा। आमसभा उन्ही नामों पर विचार करेगी, जो इस पद के लिए अर्हता रखते हो। **आमसभा अनुशंसा सर्वसम्मति से देगी। यदि यह संभव न हो सका तो इसका निर्णय बहुमत से होगा।** इस प्रकार आमसभा से अनुशंसित

उम्मीदवारों का चयन सभास्थल पर ही करें। औपबंधिक पत्र तत्काल निर्गत कर दिया जाएगा।

11.(ग) यदि आम सभा वांछित अर्हता के उम्मीदवारों की अनुशंसा नहीं करती है तो स्थल पर ही चयन समिति इसे अस्वीकृत कर देगी तथा आमसभा से अन्य नामों पर विचार करने के लिए अनुरोध करेगी। यदि आम सभा द्वारा वांछित योग्यता रखने वाले सुयोग्य श्रेणी के उम्मीदवारो की अनुशंसा नहीं की जाती है। तो चयन समिति अपना निर्णय लेगी। लेकिन चयन समिति लिखित रूप से कारण अंकित करेगी कि क्यों उन्हें आम सभा की अनुशंसा मान्य नहीं है।

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक– 28.02.2020 को ग्रामीणों का बैठक में आंगनबाड़ी सेवका का चयन किसी भी उम्मीदवार का सर्वसम्मति से नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में चयन बहुमत से होना चाहिए था, परन्तु नहीं हो पाया फलस्वरूप ग्रामीणों द्वारा अपीलकर्त्ता को आंगनबाड़ी सेवका का चयन संबंधी सूचना समाज कल्याण पदाधिकारी, दुमका को लिखित रूप से दिया गया। इस पर समाज कल्याण पदाधिकारी, दुमका द्वारा अंचल अधिकारी से अनियमितता के संबंध में जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में दो प्रधान एवं ग्रामीणों के समक्ष जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इस संबंध में ग्राम सभा के प्रति में उल्लेख है कि ग्रामीणों के द्वारा पूछताछ की गई, ग्रामीण रैयत खोमन कुँवर ने

बताया कि अयोध्या कुमारी का ही चयन होना चाहिए। खोमन कुँवर के अलावे किसी व्यक्ति का ब्यान प्रतिवदेन में दर्ज नहीं है। खोमन कुँवर उत्तरकारी की ससुर है। इसी आधार पर उत्तरकारी का चयन आँगनबाड़ी सेवका के रूप में किया गया है। यहाँ पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को अनुपालन नहीं किया गया, क्योंकि खोमन कुँवर एक Interested पार्टी थे। अतः यह आदेश रद्द करने योग्य है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में उत्तरकारी के चयन को निरस्त करते हुए, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, दुमका का आदेश दिया जाता है कि इस संबंध में पुनः ग्राम सभा कर सेविका का चयन किया जाय।

66 dt 14/3/22

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 17:15:33 +05:30
Location: 169.254.227.244